



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग,  
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
कक्ष संख्या 1025, दशम तल, शक्ति भवन विस्तार  
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
CIN: U40101UP1980SGC005065

विज्ञापन संख्या यू-29/यूपीआरवीयूएसए/2018

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा उ० प्र० सरकार का उपक्रम है। उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० हेतु कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नये कोल ब्लॉक के आवंटन के लिये माँगे जाने वाले आवेदनों पर निगम की परियोजनाओं हेतु कोयले की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में नये कोल ब्लॉकों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्णय लेने एवं उ०नि०लि० को आवंटित सहरपुर जमरपानी कोल ब्लॉक, राँची/दुमका (झारखण्ड) को विकसित करने से सम्बन्धित कार्यों/मामलों पर परामर्श के लिए संविदा पर सलाहकार के पद पर नियुक्ति की जानी है। उक्त हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

रिक्ति का विवरण:-

पद का नाम	रिक्ति की संख्या	कार्य अवधि (संविदा पर)
सलाहकार (संविदा पर)	01	01 वर्ष

- चयन: Walk in Interview दिनांक 25.07.2018 को शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ में आयोजित की जायेगी। इस हेतु अभ्यर्थी दिनांक 25.07.2018 को पूर्वान्ह 10:00 बजे उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग कार्यालय कक्ष संख्या 1025, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ में उपस्थित हो।
- आयु :- विज्ञापन जारी करने की तिथि को अधिकतम आयु 63 वर्ष।
- सलाहकार पद पर नियुक्ति किये जाने वाले अधिकारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य का विवरण:
  - नियुक्त किये जाने वाले सलाहकार द्वारा भविष्य में आने वाले नये कोल ब्लॉकों के आवेदन पर उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की परियोजनाओं हेतु कोयले की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में नये कोल ब्लॉक की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सलाह/परामर्श दिये जाने का दायित्व होगा जिससे उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० हित में कोल ब्लॉक के आवंटन के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जा सके।
  - उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० को वर्तमान में आवंटित सहरपुर जमरपानी कोल ब्लॉक का विकास कार्य से सम्बन्धित मामलों में भी नियोजित किये जाने वाले सलाहकार द्वारा यथोचित सलाह प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में सलाहकार द्वारा निम्न कार्य सम्पादित कराये जा सकते हैं :-
    - जियोलॉजिकल रिपोर्ट निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूर्ण कराने हेतु कार्यकारी संस्थाओं से संपर्क तथा कार्यस्थल पर अनुश्रवण।
    - सी०एम०पी०डी०आई०, राँची से कोआर्डिनेशन का दायित्व।



